न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–4, मुरादाबाद

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–  /2022

जमानत आदेश

02.08.2022:–

मु0अ0सं0–471/2020, अन्तर्गत धारा–342,427,504,506 भा.दं.सं., थाना गलशहीद जिला मुरादाबाद में प्रार्थीगण अनीस व अनस की ओर से आत्म समर्पण व जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण को रंजिश की बिनाह पर झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण निर्दोष हैं। प्रार्थीगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में आ चुका है। प्रार्थीगण अपनी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा अतः उसके द्वारा जमानत किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की आख्यानुसार अपराध गैर जमानतीय है। जमानत का विरोध है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा आज स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर आत्म समर्पण किया गया तथा न्यायिक अभिरक्षा में हैं। उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र आ चुका है। अपराध गैर जमानतीय है। अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण की जमानत का आधार पर्याप्त है।

**<u>आदेश</u>**

अभियुक्तगण अनीस व अनस प्रत्येक द्वारा मुब0 25,000/–रू0 का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(स्मिता गोस्वामी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–4, मुरादाबाद।
J.O. CODE-UP2323

Digitally signed by SMITA GOSWAMI
Date: 2022.08.03 12:18:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court